

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-28/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० नमिता श्रीवास्तव, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), आई०सी०यू० एवं एच०डी०यू०, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-14.07.2026 से 09.01.2027 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन का उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-28/2026- 1666/25 पटना, दिनांक 20/7/2026
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/विभागाध्यक्ष, आई०सी०यू० एवं एच०डी०यू०, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० नमिता श्रीवास्तव, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), आई०सी०यू० एवं एच०डी०यू०, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव